राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9502/2024

बंशी लाल पुत्र श्री पूनमचंद, आयु- 51 वर्ष, निवासी कागदर भाटिया, पुलिस स्टेशन ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राजस्थान) -----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य पी.पी. के माध्यम से ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री प्रदीप शाह के साथ

श्री बलवीर सिंह राठौर।

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री रमेश देवासी, पी.पी. के साथ

श्री ओम प्रकाश चौधरी।

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

18/09/2024

1. यह आवेदक की ओर से पुलिस स्टेशन परसाद, जिला उदयपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 117/2023 के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 468 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई है।

2. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने जोरदार तरीके से तर्क दिया कि विवादित दस्तावेज न तो याचिकाकर्ता द्वारा बनाए गए थे और न ही धोखाधड़ी के उद्देश्य से इस्तेमाल किए गए थे। कथित दस्तावेजों के अस्तित्व से न तो याचिकाकर्ता को कोई लाभ हुआ है और न ही किसी को कोई नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित कृत्य आईपीसी की धारा 463 के तहत अपराध के तत्वों को संतुष्ट नहीं करता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच एक साल से अधिक समय से चल रही है। ऐसी परिस्थितियों में, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिकायतकर्ता ने जिला कलेक्टर के मौखिक निर्देशों पर ही वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की है। आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता निर्दोष व्यक्ति है और याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर की गई वर्तमान एफआईआर झूठी और निराधार है। इसलिए, उसके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसके पक्ष में अग्रिम जमानत का आदेश पारित किया जा सकता है।

3. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि आवेदक के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ के अभाव में इस मामले में जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह समीचीन है कि अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

4. मैंने याचिकाकर्ता और विद्वान लोक अभियोजक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों की सराहना की है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य (2016) 1 एससीसी 152 में बताए गए मामले में दिए गए निर्देशों और मापदंडों को लागू करते हुए और दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने तथा केस डायरी और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसने सरकारी शिक्षक के रूप में काम करते हुए अपने पक्ष में फर्जी उपस्थिति प्रमाण पत्र, उपस्थिति रजिस्टर, चार्ज रिपोर्ट, चार्ज लेने के लिए अनुमति पत्र और चार्ज हैंड-ओवर प्रमाण पत्र सहित विभिन्न दस्तावेजों को जाली बनाया और साथ ही विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित रूप से जारी किया और उनके द्वारा कथित रूप से हस्ताक्षरित किया।

6. इस न्यायालय के दृष्टिकोण से, सबसे पहले, कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना किसी उद्देश्य के अपने पक्ष में ऐसे फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं करेगा। याचिकाकर्ता, जो एक सरकारी कर्मचारी और शिक्षक है, ने फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रथम दृष्टया अपराध किया है, भले ही उसे इससे कोई लाभ हुआ हो या नहीं। एक शिक्षक के रूप में, उस पर ईमानदारी से काम करने और नियमों का पालन करने का भरोसा किया गया था। झूठे दस्तावेज बनाने से यह भरोसा टूट गया है, भले ही कोई सीधा लाभ न मिला हो। यह कृत्य अपने आप में अपराध माना जाता है और धोखा देने का इरादा आपराधिक अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। भले ही नकली दस्तावेज पहली नज़र में हानिकारक न लगे, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, यही वजह है कि कानून इसे अपराध मानता है। कानून का उद्देश्य प्रक्रियाओं को बाधित करने, झूठे रिकॉर्ड बनाने या भविष्य में दुरुपयोग की ओर ले जाने वाली कार्रवाइयों को आपराधिक बनाकर सरकारी संचालन की अखंडता की रक्षा करना है।

7. यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता एक गंभीर अपराध में शामिल है। मेरे विचार से, चूंकि मामला अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए अगर याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जाती है तो यह व्यावहारिक रूप से जांच को बाधित करेगा। आवेदक के खिलाफ पूरी तरह से स्थापित मामले और आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखते हुए, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया राय रखता है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का यह उपयुक्त मामला नहीं है।

8. परिणामस्वरूप, अग्रिम जमानत के लिए तत्काल आवेदन योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

9. ऊपर जो भी चर्चा की गई है या जो भी देखा गया है वह केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है और मामले के गुण-दोष पर किसी भी राय के बराबर नहीं होगा।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।